अध्याय तृतीय

शोध प्रविधि

अध्याय तृतीय

शोध - प्रविधि

3.1 प्रस्तावना :-

अनुसंधान कार्य में सही दिशा में अग्रसर होने के लिये आवश्यक होता है कि शोध की एक व्यवस्थित रूप रेखा हो। इसमें प्रतिदर्श के चयन की अपनी विशेष भूमिका होती है। एक अच्छा तथा उपयोगी प्रतिदर्श सम्पूर्ण समष्टि का वास्तविक प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिदर्श जितने अधिक सुदृढ होगे, परिणाम उतने ही परिशुद्ध, वैद्ध, एवं विश्वसनीय होगे। इसके बाद उपकरण तथा चयन प्रविधि महत्वपूर्ण होती है जिसके आधार पर प्रदत्तों का संकलन किया जाता हैं। तदुपरांत उपयुक्त सांख्यिकीय विधि के माध्यम से प्रदत्तों का विश्लेषण एवं व्याख्या की जाती है। प्रस्तुत अध्याय में शोध-कार्य के सकल संपादन के लिय प्रतिदर्श, प्रतिदर्शो का चुनाव उपकरण प्रदत्तों का संकलन एवं विश्लेषण हेतु प्रयुक्त सांख्यिकीय का वर्णन किया गया हैं।

3.2 प्रतिदर्श तथा प्रतिदर्श का चयन :-

प्रस्तुत अध्ययन में प्रतिदर्श के रूप में मध्यप्रदेश के 25 जिलों में कार्यरत 200 पैरा शिक्षकों को लिया गया है जिनमें 145 पुरूष पैरा शिक्षक तथा 55 महिला पैरा शिक्षक हैं।

प्रतिदर्श का चयन यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया है। जिसका विवरिण निम्न तपालिका में दिया गया है।

सारणी क्रमांक–3.1

चयनित पैराशिक्षकों की जिलेवार सूची

क्र.	जिले का नाम	चयनित पैराशिक्षकों की संख्या		
		पुरूष	महिला	कुल
1.	अशोकनगर	03	–	03
2.	अनूपपूर	04	–	04
3.	उज्जैन	07	01	08
4.	उमरिया	04	–	04
5.	कटनी	05	02	07
6	खण्डवा	24	10	24
7.	छिंदवाड़ा	09	01	10
8.	जबलपुर	06	03	09
9.	देवास	08	02	10
10	बालाघाट	10	02	12
11	बुरहानपुर	03	–	03
12.	बैतूल	06	02	0
13.	भोपाल	08	13	21
14.	मुरैना	04	–	04
15	रतलाम	04	01	05
16	रायसेन	01	03	04
17	रीवा	06	02	0
18	सतना	06	04	10
19	सागर	03	02	05
20	सीधी	06	03	09
21.	सिवनी	06	–	06

क्र.	जिले का नाम	चयनित पैराशिक्षकों की संख्या		
		पुरूष	महिला	कुल
22.	श्योपुर	004	–	04
23.	शाजापुर	04	–	04
24.	शहडोल	05	01	06
25.	होशंगाबाद	09	03	12
	कुल	**145**	**55**	**200**

उपरोक्त सारणी के अनुसार अनुसंधानकर्ता द्वारा 145 पुरूष पैराशिक्षकों तथा 55 महिला पैराशिक्षकों का प्रस्तुत अध्ययन लिये चुनाव किया गया।

3.3 उपकरण :–

एक सफल अनुसंधान के लिये उपयुक्त यंत्रों एवं उपकरणों का चयन महत्वपूर्ण है। नये उपकरण का निर्माण अध्ययन के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर करना चाहिये ताकि वह उन्हीं का मापन कर सके, जिसके लिये वह निर्मित किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में पैरा शिक्षकों के लिये एक प्रपत्र तैयार किया गया है।

उपकरण का वर्णन :–

अध्ययन हेतु तैयार किये गये प्रपत्र में मुख्यतः दो भाग है :–

सामान्य खण्ड तथा

विशिष्टि खण्ड

सामान्य खण्ड को दो भागों में विभाजित किया गया है–

(अ) व्यक्तिगत जानकारी–

इसके अन्तर्गत नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, शैक्षणिक तथा व्यवसायिक योग्यता, पदनाम, विद्यालय का नाम, नियुक्ति दिनांक की जानकारी के लिये प्रारूप है।

(ब) पारिवारिक जानकारी –

इसके अन्तर्गत पैराशिक्षक के वैवाहिक स्थिति, सदस्यों की संख्या, परिवार का प्रकार, कमाने वाले अन्य सदस्यों की संख्या, परिवार का व्यवसाय तथा परिवार के वार्षिक आय की जानकारी के लिये प्रारूप है।

उपरोक्त दोनों (व्यक्तिगत तथा पारिवारिक) जानकारियों से पैराशिक्षक के लिये तथा उसके परिवार के आर्थिक सामाजिक स्तर के आंकलन में सहायता मिलती है।

विशिष्ट खण्ड :–

इस खण्ड में सात उपखण्ड है जो शोध के चर के बारे आकलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। सातों उपखण्ड निम्नानुसार है–

(1) धारित पद

(2) पद कार्य

(3) वेतनमान

(4) विद्यालय प्रशासन

(5) नियमित शिक्षकों का व्यवहार

(6) शिक्षा विभाग के नियम

(7) सामाजिक प्रतिष्ठा

प्रत्येक उपखण्ड में तीन प्रश्न है जिनके उत्तर हाँ या नहीं में टिक [illegible] है। इस प्रकार इस खण्ड में कुल 24 प्रश्न हैं। जिससे पैरा

शिक्षक को सहमति या असहमति व्यक्त करनी है। प्रश्नों को बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रख गया है कि पैराशिक्षक द्वारा किये गये टिक निशान से संबंधित उपखण्ड से उसकी संतुष्टता या असंतुष्टता का पता लगाया जा सकें।

अन्त में पैराशिक्षक के अतिरिक्त विचारों को व्यक्त करने की व्यवस्था में प्रपत्र में की गई है।

3.4 प्रदत्तों के संकलन की प्रक्रिया :-

शोधकर्ता द्वारा दिनांक 25.10.04 से 10.11.04 के बीच (कुल 17 दिन) किया गया। ज्ञातव्य है कि इस दौरान लगभग 80 हजार पैराशिक्षक 25 अक्टूबर 2004 से 26 नवम्बर 2004 तक हड़ताल पर थे। शोधकर्ता द्वारा राज्य शिक्षाकर्मी संघ के प्रान्ताध्यक्ष श्री मुरलीधर पाटीदार से अनुमति लेने के बाद 300 प्रपत्र विभिन्न जिलों से आये पैराशिक्षकों को दिया गया। जिसमें से कुल 207 प्रपत्र वापस आया। शोधकर्ता द्वारा भोपाल के आस-पास के गांवों से गुरूजी तथा अन्य पैराशिक्षक से सम्पर्क करके 21 प्रपत्र भरवाये गयें। प्रपत्रों की जाँच करने के पश्चात शोधकर्ता द्वारा 203 प्रपत्र पूर्ण तथा शोध के अनुरूप पाये गये तथा 25 प्रपत्र अपूर्ण जानकारी के कारण निरस्त कर दिये गयें।

इसके अतिरिक्त शोधकर्ता द्वारा धरना स्थल समय-समय पर जाकर शिक्षाकर्मियों की समस्याओं का गहन अध्ययन किया गया। जिससे उनकी समस्याओं को पास से महसूस करने का अवसर मिला तथा शोध के लिये मजबूत आधार का निर्माण हो सका।

प्रपत्र वितरण के समय दिये गये निर्देश–

प्रपत्र वितरण करने के पूर्व निम्न निर्देश दिये गयें –

(1) यह प्रपत्र किसी गोपनीय सूचनाओं को एकत्रित करने के लिये नहीं है। अतः आप लोग बिना किसी भय तथा शंका के सही जानकारी भरें।

(2) यदि किसी प्रश्न का आशय समझ में न आये तो शोधकर्ता द्वारा समस्या का निराकरण कर लें।

(3) प्रपत्र के अन्त में खाली स्थान पर केवल धारित पद, पदकार्य, वेतन, विद्यालय प्रशासन, नियमित शिक्षकों से संबंध, शिक्षा विभाग के नियमों तथा सामाजिक प्रतिष्ठा संबंधित समस्याएं तथा उनके निराकरण के सुझाव ही लिखे। अन्य पारिवारिक या व्यक्तिगत समस्या का विवरण न लिखें।

3.5 मूल्यांकन –

प्रपत्र के सामान्य खण्ड में दी गई जानकारियों की मदद से पैराशिक्षक के व्यक्तिगत तथा पारिवारिक स्थिति का आकलन किया गया है।

प्रपत्र के विशिष्ट खण्ड के प्रत्येक उपखण्ड के तीन प्रश्नों में से यदि पैराशिक्षक कम से कम दो प्रश्नों हाँ टिक करता है तो उसे उस उपखण्ड से संतुष्ट माना जायेगा। तााि यदि दो या दो से अधिक प्रश्नों में 'नही' टिक करता हैं तो संबंधित उपखण्ड से असंतुष्ट माना जायेगा।

संकलित कुल प्रदत्तों का लिंग, स्कूल प्रकार, ग्रामीण तथा शहरी, शैक्षणिक योग्यता तथा व्यवसायिक योग्यता के आधार पर सारणीयन किया गया हैं।

3.6 सांख्यिकी का प्रयोग :–

संकलित प्रदत्तों का विश्लेषण करने के लिये शोधकर्त्ता द्वारा प्रतिशत तथा काई–वर्ग का उपयोग किया गया है।